30.4.21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 18.5.21 को पेश हो।

18.5.21 उभय पक्ष उप... पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 29.6.21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29.6.21 पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 25.10.21 को पेश हो।

25.10.21 पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान भगवानपुरा मे पेश हुई, पटवार हल्का पटवारी भगवानपुरा द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई जिसे पढ़ा गया। प्रार्थी की मृत्यु होजाने से उसका प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर आदेश पारित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गांवों के संग अभियान

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:17:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

मुकदमा संख्या :- 218/19 प्रा. पत्र

1- श्री बालू S/o श्री चुन्नीलाल खटीक निवासी- भगवानपुरा त० मांडल मृतक के वारिसान श्री शंकर S/o बालू खटीक निवासी- भगवानपुरा त० मांडल (वगैरा) प्रार्थी

बनाम

1- श्री रामपाल S/o भीखू खटीक निवासी- भगवानपुरा त० मांडल (वगैरा) -विपक्षीगण (हा संलग्न प्रा. पत्र ...)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

::आदेश:: दिनांक 25.10.21

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम......भगवानपुरा......पटवार हल्का......भगवानपुरा......तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं......1637/1638 1636/1, 1639 4680/1639, 5412/1638......कुल किता ......06...... रकबा......0.35 बीघा...... ~~हेक्टेयर~~ 03 बिस्वा......स्थित है । वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गढ़ी के आदेश प्रदान कराये जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक......31.12.19......को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी करने का अधिकारी है ।वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा -फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है ।अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम......भगवानपुरा पटवार हल्का......भगवानपुरा......तहसील मांडल में स्थित आराजी नं......1637, 1638, 1636/1, 1639, 4680, 5412/1, 1638......कुल किता......06......रकबा......0.35 बीघा ~~हेक्टेयर~~ 03 बिस्वा भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है । पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक......भगवानपुरा......को ......600/-...... रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें । कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की स्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढ़ी की जावें । फसल खड़ी होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Saxena
Date: 2021.12.23 14:27:45 IST
Reason: SelfAttested

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें ।

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी
मांडल, जिला-भीलवाड़ा

प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021